न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – ~~539~~ 132/2024 / 2024

अनवान : –

1. पूजा शर्मा पुत्री सुभाषचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी कानसर तहसील नोहर।

– सायला

बनाम्

1. सुभाषचन्द्र पुत्र हनुमान जाति ब्राहमण निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुंईयाा तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायला**
2. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 29/7/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मोजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 742/723 की कुल 5.2600 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 735/718 की कुल 10.4950 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्स भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में सायला के दादा हनुमान के नाम दर्ज थी तथा सायला के दादा ने वादग्रस्त भूमि अपने पुत्रगणों के नाम दर्ज करवा दी। गैरसायल स0 1 के नाम उक्त वाद भूमि बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है जिसमें सायला का भी जन्मजात हक हिस्सा है। अतः उक्त वाद भूमि में सायला बहिब गैरसायल स0 1 के साथ अपना हक हिस्सा दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 जो सायला का पिता है जो की पारिवारिक कारणो से सायला से नाराज रहता है तथा गैरसायल स0 1 अपनी जरूरतों को पुरा करने के लिए वादग्रस्त भूमि को रहन/बैय करना चाहता है अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही है। अतः गैरसायल स0 1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मोजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 742/723 की कुल 5.2600 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 735/718 की कुल 10.4950 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि में से प्रार्थीया के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि उत्तरदाता के पिता की आवंटन शुदा भूमि है पैतृक भूमि नही है। उत्तरदाता के पिता के जीवनकाल में उक्त वाद भूमि में सायला का कोई हक हिस्सा नही है। सायला की माता गैरसायल स0 1 से 15 सालों से अलग रहती है तथा सायला की माता के द्वारा मिन उत्तरदातागण पर एक फौजदारी प्रकरण एफआईआर 170/10 दर्ज 449, 406, 323 आईपीसी दर्ज करवाया तथा उक्त प्रकरण में सायला की माता द्वारा मिन उत्तरदातागण के भाई व माता पर भी साथ में करवाया था चुकी प्रकरण झुठा था तथा बाद पुलिस जांच उक्त प्रकरण में एफआर स0 85 दिनांक 31.05.2012 को प्रस्तुत कर दी तथा उक्त मुकदमे को झुठा माना चुकी सायला मिन उत्तरदाता की पुत्री है तथा पुत्र नही है जा शादी के बाद ससुराल चली जावेगी। उत्तरदातागण नोहर रहता है तथा सायला व उसकी माता कानसर में रहते है। उक्त वाद व प्रार्थना पत्र झुठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो की ना चलने योग्य है अतः बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की गैरसायल संख्या 1 जो सायला का पिता है उक्त वाद भूमि सायला के दादा से गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज हुई है वाद भूमि पैतृक है गैरसायल स0 1 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाना चाहती है कि गैरसायल संख्या 1 उक्त वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन, बैय व मुन्तकिल न करे। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 के पिता को आवंटन हुई थी वाद भूमि पैतृक नही है सायला व सायला की माता 15 वर्षो से गैरसायल स0 1 से अलग रहते है तथा गैरसायल स0 1 पर मुकदमे भी दर्ज करवाये है। सायला ने मनगढ़त व झुठे तथ्यों तथा किसी के बहकावे मे आकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 742/723 की कुल 5.2600 हैक्ट भू[illegible]/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 73[illegible] हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्स भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त वाद भूमि न्यायालय हाजा द्वारा पारित डिक्री दिनांक 02.03.2021 द्वारा सायला के दादा से अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज हुई है वाद भूमि पर्व में सायला के दादा के नाम दर्ज थी तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायला के पिता के नाम दर्ज है अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है न की अप्रार्थीगण के। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मोजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 742/723 की कुल 5.2600 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 735/718 की कुल 10.4950 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में प्रार्थीया के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/7/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:37 IST
Reason: SelfAttested